संख्या- 22/2019/1714(2)/तीस-4-2019-8(सा0)/2018 टीसी

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2019

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के पत्र संख्या-617(2)/77-6-2019-एलसी 02/2019, दिनांक 05.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर प्रदूषण रहित वातावरण तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या-580/77-6-19-एल.सी.-02/18, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा निर्गत की गई है।

3- उक्त इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 में सार्वजनिक परिवहन हेतु वर्ष 2030 तक चरणबद्ध रूप से 1000 ईवी बसें चलाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही वर्ष 2020 तक प्रथम चरण में 25 प्रतिशत, वर्ष 2022 तक द्वितीय चरण में शेष 35 प्रतिशत तथा वर्ष 2030 तक तृतीय चरण में अवशेष 40 प्रतिशशत बसों को प्रयुक्त किया जायेगा। इस सन्दर्भ में 10 आदर्श ईएम नगरों (नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर तथा वाराणसी) को घोषित किया जायेगा तथा नोएडा पायलेट ईएम नगर होगा। इन ईएम नगरों में हरित मार्गों को बढ़ावा दिया जायेगा तथा इन मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन में 70 प्रतिशत ईवी का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

4- अतः इस सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 व शासनादेश संख्या-633/77-6-19-एल.सी.-02/18, दिनांक 05.09.2019 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश वाहन मैन्यूफैक्चरिंग नीति, 2019 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली'' की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार सार्वजनिक परिवहन हेतु ईवी के संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए उक्त नीति व नियमावली के अन्य प्रस्तरों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 22/2019/1714(3)/तीस-4-2019-8(सा0)/2018 टीसी, तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उनके पत्र दिनांक 05.09.2019 के सम्बन्ध में।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव परिवहन विभाग, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in